

राजस्थान-सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान-जयपुर।

कमाक: प्रशिक्षण/जीएनएम/09/341

दिनांक:- 7-8-09

:: संशोधित आदेश ::

इस निदेशालय के आदेश कमांक:प्रशिक्षण/जीएनएम/09/288 दिनांक: 10.7.09 के द्वारा जी.एन.एम. प्रशिक्षण सत्र 2009-10 में प्रवेश हेतु निजी नर्सिंग स्कूल्स जिन्हें स्वीकृत/बढी हुई सीटों के लिये राज्य सरकार की एन.ओ.सी., आई.एन.सी. की मान्यता, आरएनसी की सम्बद्धता है, तथा बढी हुई सीटों के सम्बन्ध में जिनका प्रथम बैच पास आउट हो गया है के आधार पर सीटों की नवीनतम स्थिति की सूची जारी की गई थी, के कम संख्या 66 पर श्री साईं बाबा स्कूल ऑफ नर्सिंग, 156 पटेल नगर, कालवाड रोड, झोटबाडा, जयपुर की कुल सीटों की संख्या 40 तथा प्रवेश पर राज्य सरकार की रोक को विलोपित पढा जावे। शेष विवरण यथावत रहेगा।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राज0-जयपुर।

कमाक: प्रशिक्षण/जीएनएम/09/341

दिनांक:- 7-8-09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान-जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि संलग्न सूची में उल्लेखित सीटों की संख्या के अधिक किसी, संस्था द्वारा प्रवेश दिये जाने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में प्रवेश नहीं देवें।
3. अध्यक्ष, राजस्थान निजी नर्सिंग स्कूल्स, फेडरेशन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि संलग्न सूची के अनुसार ही प्रवेश दिया जावे, संस्था/सीटों की संख्या में इस स्तर से लिखित में अनुमति जारी हो जाने पर ही परिवर्तन मान्य होगा।
4. प्रभारी सर्वर कक्ष, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
5. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राज0-जयपुर।